

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं०सं०- पि०व०/७/आ०क०वि०प्र० एवं सं०धा०-३९-५१/२०२३- 393

पटना, दिनांक-30/06/2024

कार्यालय आदेश

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, मधुबनी में पदस्थापित सुश्री/श्रीमती शैल कुमारी, माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) (TGT)/संगीत कला को कॉलम-6 के अनुसार निम्नवत रूप से प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

क्र० सं०	शिक्षक का नाम	पदनाम/विषय	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापित विद्यालय का नाम	प्रतिनियुक्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1	सुश्री/श्रीमती शैल कुमारी	माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) (TGT)/संगीत कला	दरभंगा	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, मधुबनी	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, दरभंगा

2. उपरोक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

30/6/26
(अनिल कुमार ठाकुर)
निदेशक।

ज्ञापांक:- पि०व०/७/आ०क०वि०प्र० एवं सं०धा०-३९-५१/२०२३- 393

पटना, दिनांक-30/06/2024

प्रतिलिपि:- संबंधित जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी एवं कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/6/26
निदेशक।

ज्ञापांक:- पि०व०/७/आ०क०वि०प्र० एवं सं०धा०-३९-५१/२०२३- 393

पटना, दिनांक-30/06/2024

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रधानाध्यापक, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/6/26
निदेशक।

ज्ञापांक:- पि०व०/७/आ०क०वि०प्र० एवं सं०धा०-३९-५१/२०२३- 393

पटना, दिनांक-30/06/2024

प्रतिलिपि:- संबंधित शिक्षिका, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश है कि प्रतिनियुक्त विद्यालय में अविलंब योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

30/6/26
निदेशक।

ज्ञापांक:- पि०व०/७/आ०क०वि०प्र० एवं सं०धा०-३९-५१/२०२३- 393

पटना, दिनांक-30/06/2024

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

30/6/26
निदेशक।

ज्ञापांक:- पि०व०/७/आ०क०वि०प्र० एवं सं०धा०-३९-५१/२०२३- 393

पटना, दिनांक-30/06/2024

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/6/26
निदेशक।